फर्द अहकाम

कमलीदेवी वगै० बनाम सरपंच ग्रा. पं. बाडीजोडी वगै०

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या अपील सं. 1/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि...
	15/5/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा प्रतिप्रेषित किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली जेरूल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह० उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

...सीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

...ल संख्या :- 01/2023

उनवान

...मली देवी पत्नी स्व. मदन लाल
...जय कुमार पुत्र स्व. मदन लाल
...न्स कुमार पुत्र स्व. मदन लाल
...ोनू वर्मा पुत्री स्व. मदन लाल
...मिला पुत्री स्व. मदन लाल
...शोक कुमार पुत्र स्व. मदनलाल
...निता वर्मा पुत्री स्व. मदनलाल
...त जाति बलाई, निवासी जसवन्तपुरा, तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज०

– प्रार्थीगण / अपीलार्थीण

बनाम

...रपंच ग्राम पंचायत बाडीजोडी, पं.स. शाहपुरा, जिला जयपुर राज.
...ाली देवी पत्नी बनवारीलाल
...ुनील वर्मा पुत्र बनवारीलाल
...ादल वर्मा पुत्र बनवारीलाल
...वि वर्मा पुत्र बनवारीलाल
...ुशीला पुत्री बनवारीलाल
...ोनू पुत्री बनवारीलाल
...ोमल पुत्री बनवारीलाल
...लिता पुत्री बनवारीलाल
...ुमन पुत्री बनवारीलाल
...न्नी पुत्री ग्यारसीलाल
...ंतोष पुत्री ग्यारसीलाल
...त जाति बलाई, निवासी जसवन्तपुरा, तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज०
... राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज०

रेस्पोन्टडेन्ट / प्रत्यर्थीगण

(मोहर: कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान)

...ल अन्तर्गत धारा 75 राज, लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध ग्राम पंचायत बाडीजोडी, पं.स. ...ुरा, के नामान्तरण संख्या 513 निर्णय दिनांक 20.1.2022, ग्राम जसवन्तपुरा तहसील शाहपुरा ...ा जयपुर के द्वारा खारिज / अस्वीकार किया गया है।

...स्थित अधिवक्तागण

...। टी०एम० वर्मा – अधिवक्ता अपीलाण्ट
...। दीपक शर्मा – अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक 15.5.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील ग्राम जसवन्तपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा ...न्तकरण संख्या 513 निर्णय दिनांक 20.1.2022 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की । ...ल दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ...से उनके अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित आये तथा प्रकरण बहस हेतु नीयत किया जाकर ...ल उभय पक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न अपीलाण्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद नियम में उल्लेखित तथ्यो को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु न किया ।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए न किया कि खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 774 रकबा 1.6600 हैक्टेयर कुल 1 कुल रकबा 1.6600 हैक्टेयर वाके ग्राम जसवन्तपुरा, पटवार हल्का बाडीजोडी, भू.अ.नि. पुरा, तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है, जो अपीलार्थीगण तथा रेस्पोडेन्ट के पूर्वज /पति स्व. मदन लाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/5 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त त भूमि अपीलार्थीगण तथा रेसपोडेन्ट के पूर्वजों के नाम पुश्तैनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त वर्णित भूमि में अपीलार्थीगण के पूर्वज मदन लाल की मृत्यु हो चुकी है। उसकी के पश्चात उसके जायन्दा कानूनी वारिस अपीलार्थीगण हैं। खातेदार रुडी देवी पत्नी सीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके जायन्दा कानुनी वारिस अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट हैं खातेदार बनवारी लाल पुत्र ग्यारसीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके जायन्दा कानूनी स रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि में स्व. मदनलाल की मृत्यु पश्चात उसके जायन्दा कानूनी वारीसों ने ग्राम पंचायत बाडीजोडी में मदनलाल का मृत्यु ा पत्र शपथ पत्र पेश कर उक्त वर्णित भूमि में मदनलाल के बजाय अपने नाम नामान्तरण वाने के लिये पेश की है। लेकिन ग्राम पंचायत बाडीजोडी द्वारा नामान्तरण संख्या 513 निर्णय क 20/01/2022 के द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये नामान्तरण को खारीज / ीकार कर दिया। जबकि अपीलार्थीगण मृतक मदनलाल के कानूनी जायन्दा वारिस हैं जिनके उक्त वर्णित भूमि में उनका नाम दर्ज नहीं कर बिना किसी अधिकार के कानूनी भूल की है। के उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलार्थीगण का हिस्सा 1/5 दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार ग्राम यत बाडीजोडी ने अपीलार्थीगण का हिस्सा 1/5 दर्ज नहीं कर नामान्तरण खारीज कर ा। इस प्रकार उक्त नामान्तरण बिना किसी अधिकार व कानून के विपरित होने से निरस्तनीय अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं कर भारी भूल की है जबकि लार्थीगण का उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में अपने हिस्से 1/5 में नाम व हिस्सा अंकित चाहिये था,लेकिन अपीलार्थीगण का उक्त सम्पूर्ण भूमि में से नाम व हिस्सा दर्ज नहीं कर भूल की है तथा अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया इस प्रकार पत्रावली पर ब्ध दस्तावेजों पर बिना गौर किये ही उक्त नामान्तरण खारीज किया गया है जो निरस्तनीय

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि उक्त ादास्पद आराजी प्रत्यर्थीगण के बुजुर्ग ग्यारसा पुत्र नारायण बलाई के नाम रजस्व रिकार्ड में है। ग्यारसीलाल के दो पुत्र बनवारीलाल व मदनलाल तथा दो पुत्रिया संतोष देवी व मन्नी उर्फ मोहिनी पैदा हुई थी। ग्यारसीलाल ने अपने पुत्र मदनलाल को बाल्यकाल में ही रताराम बक्सा निवासी बुनकर मौहल्ला शाहपुरा जिला जयपुर को गोद दे दिया था जो मदनलाल पन से ही अपने दत्तक पिता रताराम के साथ शाहपुरा में निवास किया है तथा उसकी शादी पालन पालन रताराम ने ही किया है। इस प्रकार मदनलाल गोद चले जाने से ग्यारसीलाल सम्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ग्यारसीलाल फौत होने पर मदनलाल बाला बाला ग्राम यत बाडीजोडी व पटवारी हल्का से मिली भगत कर नामान्तकरण सं0 149 के द्वारा उक्त का विरासत का नामान्तकरण गोद जाने का तथ्य को छुपाकर अपने नाम करवा लिया । सकी जानकारी प्रत्यर्थीगण को पहले नहीं थी इस अपील के नोटिस आने पर जानकारी होने रिकार्ड की नकल लजेकर नामारन्तकरण सं0 149 के विरूद्व अपील न्यायालय श्रीमान एडीएम म जयपुर के यहा की गई जो लम्बित है। इस प्रकार अपीलार्थी कीअपील खारिज किये जाने य है। इस प्रकार मदनलाल के नाम जो नामान्तकरण सं0 149 गलत रूप से स्वीकृत हुआ था की अपील लम्बित होने से उक्त अपील सब ज्युडिस होने से खारिज किये जाने का निवेदन या । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में यह भी जाहिर किया कि मदनलाल ग्राम डीजोडी में निवास नहीं कर अपने दत्तक पिता रताराम के साथ कस्बा शाहपुरा में निवास ने व गोद जाने के बाद उसके पहचान पत्र व सभी सरकारी दस्तावेजात के उसके दत्तक

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रताराम का नाम दर्ज होने से मदनलाल का ग्राम बाडीजोडी की चल अचल साम्पत्ति से संबंध व सरोकार नही रहा है। मदनलाल के शाहपुरा में पडौसी श्रवणलाल पुत्र देबूराम से विवाद होने पर सिविल न्यायालय में उनवानी मुकदमें में अपने को रताराम का दत्तक ताया है, जिससे साफ जाहिर है कि मदनलाल बचपन से ही रता राम के शाहपुरा गोद आ था तथा मदनलाल की मृत्यु प्रमाण पत्र में मदनलाल दत्तक पिता रताराम दत्तक माता देवी का नाम दर्ज है । इस प्रकार प्रस्तुत नामान्तकरण उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम त द्वारा खारिज किया गया है जो सही होने से अपील निरस्त किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । थम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर विद्वान अधिवक्ता हस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते था नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि को माफ किया जाकर अपील अन्दर मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील बहस पर मनन किया तथा कानून शा देखी गई। अपील के साथ पेश नामान्तकरण सं0 513 निर्णय दिनांक 20.1.2022 का कन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण मदनलाल के नाम दर्ज भूमि से सम्बन्धित है। प्रकरण के कन से यह स्पष्ट है कि भूमि मदनलाल पुत्र ग्यारसीलाल के नाम दर्ज रही है तथा लाल की मृत्यु पर उसकी विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत बाडीजोडी द्वारा यह ी अंकित कर खारिज किया गया है कि मदनलाल शाहपुरा गोद जाने से जसवन्तपुरा में लेना देना नहीं है, जबकि प्रश्नागत भूमि पहले से मदनलाल के नाम दर्ज रही है तथा यह का सुव्यस्थित सिंद्वान्त है कि किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान के भूमि जरिये नामान्तकरण दर्ज की जाती है। यहां ग्राम पंचायत द्वारा उसके विधिक वारिसान ाम दर्ज नहीं कर भारी भूल की है क्योंकि मदनलाल के नाम पूर्व से भूमि दर्ज रही है, न रेसपोडेन्ट ने मदनलाल के नाम दर्ज नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश जाहिर किया है लेकिन माननीय सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश या कोई विपरित श पारित नहीं किये जाने से विरासत के नामान्तकरण में उसके विधिक वारिसान का नाम नहीं करना न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होना साबित होता है । इस प्रकार प्रकरण में ाण्ट की अपील व बहस में अंकित तथ्य पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तकरण संख्या 513 वाकै ग्राम जसवन्तपुरा तहसील शाहपुरा में पारित आदेश दिनांक .2022 को अपास्त किया जाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत य पारित करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया है कि अपीलार्थीगण को विधिवत सुनवाईका अवसर दिया जाकर गुणवगुण के आधार पर देवस में नये सिंरे से निर्णय करें। तहसीलदार तहसील शाहपुरा को निर्णय की प्रति के साथ ना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2025. को सुनाया गया ।

(संजीव कुमार खेदर)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)